| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | अग्रहायण 22, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 13, *2024* | |
| | *Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**श्रम विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, दिसम्बर 13, 2024**

**संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212** :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में **"घरों में नियोजित श्रमिक" (Domestic worker)**" में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म.अभि./ श्रम/आई.आर./2000/ पार्ट/ 24188 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **"घरों में नियोजित श्रमिक" (Domestic worker)" में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023** से पुनरीक्षित करती है :-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

| क्र.सं. | नियोजन की प्रकृति | श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो) | प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बर्तन धोने का कार्य | 60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन) | **923.00** |
| 2 | कपडे धाने का कार्य | 60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन) | **923.00** |
| 3 | कपडे धोना-बर्तन धोना | 60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन) | **923.00** |
| 4 | कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई | 60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन) | **923.00** |
| 5 | अन्य घरेलू कार्य | 60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन) | **923.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य | एक दिन का कार्य | **8034.00** |

टिप्पणियां-

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं। तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावगी।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

धर्मपाल सिंह,
**अति0 श्रम आयुक्त एवं,**
**पदेन संयुक्त शासन सचिव,**
**राजस्थान जयपुर।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**